

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई मेल:- ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

No RAJ/BND-01/LST-1

Date: 30/9/2016

प्रेषित Agent, M/S ACC Limited,
Lakheri Cement Works, P.O.- Lakheri,
Disstt.- Bundi, Rajasthan, Pin Code- 323603

विषय: राजस्थान राज्य के Bundi जिले में स्थित आपकी Lakheri Limestone खान १५१६.८८
हैक्टे मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन (खान कोड
संख्या 38RAJ08002)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.09.2016 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 संशोधित एमसीडीआर 2011 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन
किया है।

नियमउल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा

- 13(1) The Mining operations had not been carried out in accordance to the mining plan approved on 12/8/2015 up to the extent as under.
- 1) As per Para 12.4.6, it was proposed to cover an area of 36 ha under afforestation where as only 24 ha had been covered under afforestation.
 - 2) As per Para 12.4.2, the waste material was proposed to be dumped in worked out pits of lower series, where as the waste material had been dumped in worked out pits of Upper series.
- 15 (1) In the approved mining plan the pit is supposed to develop by systematic and regular benches by maintaining height of 6m and width of 10m. It has been observed during the inspection that the same is not followed during the development of the pit.
- 23E(2) The annual compliance report (2015-16) of the work in mine actually carried out vis – a –vis to the proposals of approved progressive mine closure plan for mineral conservation & mine rehabilitation required to be submitted up to 1 July 2016 to the Regional Controller has not been submitted till date.
- 29 The Plans & Sections required under these rules had not been submitted to the Regional Controller of Mines on or before 30th day June 2016.
- 37 The water had not been sprayed regularly on transport haulage roads for suppressing the dust generation.
02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) के अंतर्गत
- (क) खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
 - (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच.सी.शर्मा)
वरि सहायक खान नियंत्रक
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
- 2) खनि अभियन्ता, BUNDI को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वरि सहायक खान नियंत्रक
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो